न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 39/2021

1 कमलेश कुमार दत्तक पुत्र भूरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामदेव पुत्र सेडूराम।
2 गणेशराम पुत्र सेडूराम।
3 लक्ष्मणराम पुत्र सेडूराम।
4 शांति देवी पत्नी बिड़दूराम पुत्रवधू सेडूराम।
5 कानाराम पुत्र बिड़दूराम।
6 राकेश कुमार पुत्र बिड़दूराम।
7 पप्पू पुत्र बिड़दूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता शांति देवी।
8 गिरधारी पुत्र डूंगाराम।
9 कानी बेवा मंगलाराम।
10 श्रीमती मांगी देवी पत्नी छीतरमल।
11 मदनलाल पुत्र छीतरमल।
12 अर्जुनलाल पुत्र छीतरमल।
13 रामजीलाल पुत्र छीतरमल।
14 बाबूलाल पुत्र छीतरमल।
15 कमलेश पुत्र छीतरमल।
16 सुप्यार देवी पुत्री छीतरमल।
17 सुनिता देवी पुत्री छीतरमल।
18 हरफूल पुत्र मंगलाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

19 नन्छी पुत्री राधा।
20 पप्पूड़ी पुत्री राधा।
21 भंवरी पुत्री राधा।
22 ओमप्रकाश पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
23 रामचन्द्र दत्तक पुत्र गणेश।
24 गोपाल पुत्र रामेश्वर।
25 जयराम पुत्र रामेश्वर।
26 कालूराम पुत्र रामेश्वर।
27 आंची देवी बेवा रामेश्वर।
28 शांति देवी पुत्री रामेश्वर।
29 जगदीश पुत्र हणमान।
30 मनभरी देवी पुत्री हणमान।
31 रिछपाल पुत्र नारायणं
32 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्यामाराम।
33 सीताराम पुत्र श्यामाराम।
34 पतासी बेवा श्यामाराम।
35 हीरा पुत्र रामदेव।
36 बनवारीलाल पुत्र गंगाराम।
37 बद्रीनारायण पुत्र गंगाराम।
38 भागीरथमल पुत्र भगवाना।
39 रूड़मल पुत्र भगवाना।
40 सूरजमल पुत्र भगवाना।
41 सांवरमल पुत्र भगवाना समस्त जाति कुमावत निवासीगण सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
42 भगवान सहाय पुत्र हनुमान।
43 बोदूराम पुत्र हनुमान सहायक समस्त जाति अहीर निवासीगण अहीरों की ढ़ाणी चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

44 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रींगस।
45 मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा सरगोठ।
46 भूमिधारी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 04.05.2018 बसिलसिला मिसल संख्या 48/2017 बउनवानी रामदेव व अन्य बनाम रामचन्द्र व अन्य

अपील संख्या 40/2021

1 कमलेश कुमार दत्तक पुत्र भूरा जाति कुमावत निवासी ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामदेव पुत्र सेडूराम।
2 गणेशराम पुत्र सेडूराम।
3 लक्ष्मणराम पुत्र सेडूराम।
4 शांति देवी पत्नी बिड़दूराम पुत्रवधू सेडूराम।
5 कानाराम पुत्र बिड़दूराम।
6 राकेश कुमार पुत्र बिड़दूराम।
7 पप्पू पुत्र बिड़दूराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता शांति देवी।
8 गिरधारी पुत्र डूंगाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

9 कानी बेवा मंगलाराम।
10 श्रीमती मांगी देवी पत्नी छीतरमल।
11 मदनलाल पुत्र छीतरमल।
12 अर्जुनलाल पुत्र छीतरमल।
13 रामजीलाल पुत्र छीतरमल।
14 बाबूलाल पुत्र छीतरमल।
15 कमलेश पुत्र छीतरमल।
16 सुप्यार देवी पुत्री छीतरमल।
17 सुनिता देवी पुत्री छीतरमल।
18 हरफूल पुत्र मंगलाराम।
19 नन्छी पुत्री राधा।
20 पप्पूड़ी पुत्री राधा।
21 भंवरी पुत्री राधा।
22 ओमप्रकाश पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
23 रामचन्द्र दत्तक पुत्र गणेश।
24 गोपाल पुत्र रामेश्वर।
25 जयराम पुत्र रामेश्वर।
26 कालूराम पुत्र रामेश्वर।
27 आंची देवी बेवा रामेश्वर।
28 शांति देवी पुत्री रामेश्वर।
29 जगदीश पुत्र हणमान।
30 मनभरी देवी पुत्री हणमान।
31 रिछपाल पुत्र नारायणं
32 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्यामाराम।
33 सीताराम पुत्र श्यामाराम।
34 पतासी बेवा श्यामाराम।
35 हीरा पुत्र रामदेव।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

36 बनवारीलाल पुत्र गंगाराम।

37 बद्रीनारायण पुत्र गंगाराम।

38 भागीरथमल पुत्र भगवाना।

39 रूड़मल पुत्र भगवाना।

40 सूरजमल पुत्र भगवाना।

41 सांवरमल पुत्र भगवाना समस्त जाति कुमावत निवासीगण सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

42 भगवान सहाय पुत्र हनुमान।

43 बोदूराम पुत्र हनुमान सहायक समस्त जाति अहीर निवासीगण अहीरों की ढ़ाणी चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

44 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रींगस।

45 मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा सरगोठ।

46 भूमिधारी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 04.05.2018 बसिलसिला मिसल संख्या 48/2017 बउनवानी रामदेव व अन्य बनाम रामचन्द्र व अन्य

उपस्थिति :

1. श्री शिवसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिनारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.12.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 48/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक-पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट की ओर से दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 2362,2367,2368, 2370,2371,2372,2373 के सन्दर्भ में घोषणा चाही गई। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट कमलेश की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि का सहकाश्तकार है। वरवक्त बहस अपीलांट ने फर्द के साथ जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट विवादित भूमि में सहकाश्तकार दर्ज है। वादीगण ने अपीलांट को सहकाश्तकार होते हुए भी पक्षकार संयोजित किये बिना विचाराधीन वाद प्रस्तुत कर डिक्री करवाया है। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना, प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त किये बिना, तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से अपीलांट सहकाश्तकार होना साबित है। अपीलांट को सहकाश्तकार होते हुए पक्षकार बनाये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत जमाबंदी से अपीलांट सहकाश्तकार होना साबित है। अपीलांट को सहकाश्तकार होते हुए पक्षकार बनाये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित है एवं चूंकि अपीलांट पक्षकार नहीं था ऐसी स्थिति में अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अतः धारा 5 व धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर बी जे 2001 पेज नम्बर 313, आर आर डी 1984 पेज नम्बर 45, आर आर डी 1999 पेज नम्बर 173 एससी, ए आई आर 2019 एमएनपीआर पेज नम्बर 28, आर बी जे 2018 पेज नम्बर 43, आर बी जे 2005 पेज नम्बर 502, ए आई आर 1961 एस सी पेज नम्बर 1500, आर बी जे 2011 एफबी पेज नम्बर 387, आर आर टी 2015(2) पेज नम्बर 978, आर आर टी 2016(2) पेज नम्बर 791 एचसी, आर आर टी 2017(1) पेज नम्बर 446, आर बी जे 1999 पेज नम्बर 341, आर आर टी 2007(2) पेज नम्बर 1449 एचसी, आर आर टी 2019(1) पेज नम्बर 768 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से अपीलांट सहकाश्तकार होना साबित है। अपीलांट को सहकाश्तकार होते हुए पक्षकार बनाये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित है एवं चूंकि अपीलांट पक्षकार नहीं था ऐसी स्थिति में अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को प्रभावित पक्षकार मानते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण को प्रश्न है इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित भूमि का सहकाश्तकार है। वरवक्त बहस अपीलांट ने फर्द के साथ जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट विवादित भूमि में सहकाश्तकार दर्ज है। वादीगण ने अपीलांट को सहकाश्तकार होते हुए भी पक्षकार संयोजित किये बिना विचाराधीन वाद प्रस्तुत कर डिक्री करवाया है। प्रस्तुत प्ररकण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने काउंटर वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने वाद एवं प्रतिदावा के संदर्भ में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना, प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त किये बिना, तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर सभी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर